निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 125) पटना, सोमवार, 8 फरवरी 2016

सं0 **08/आरोप–01–264/2014सा.प्र.—1403**

सामान्य प्रशासन विभाग

———————

संकल्प

28 जनवरी 2016

श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा के विरूद्ध विवाहित रहते हुए दूसरे विवाहित व्यक्ति से शादी करने, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 23 का उल्लंघन है, का आरोप है।

2. उक्त आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–18117, दिनांक 27.11.2013 द्वारा श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 का नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी संयुक्त आयुक्त विभागीय जाँच, सारण प्रमंडल, छपरा के पत्रांक–2163, दिनांक 11.10.2014 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाया गया।

3. विभागीय पत्रांक–16537, दिनांक 01.12.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्रीमती मिश्रा से लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा) की माँग की गयी। द्वितीय कारण पृच्छा के उत्तर में श्रीमती मिश्रा द्वारा अपने पूर्व पति के विरूद्ध कई तरह के आरोप लगाया गया साथ ही परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी के आरोपों को गलत बताया गया। उन्होंने श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ विवाह के तस्वीरों को गलत बताया।

4. श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी एवं आरोपी के पूर्व पति डा० चुन्नी लाल त्रिपाठी दोनों द्वारा श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी के साथ श्रीमती श्वेता मिश्रा के देवघर मंदिर में सम्पन्न शादी से संबंधित फोटोग्राफ एवं साक्ष्य विभाग में कार्रवाई हेतु समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी श्रीमती मिश्रा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में फोटोग्राफ को गलत बताया गया परन्तु इसकी सत्यता के जाँच की माँग न तो जाँच पदाधिकारी से और न हीं विभाग से ही उनके द्वारा की गयी।

5. परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी एवं आरोपित पदाधिकारी के पूर्व पति डा० चुन्नी लाल त्रिपाठी द्वारा समर्पित साक्ष्य एवं फोटोग्राफ पर आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती मिश्रा द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का स्पष्टतया उल्लंघन किया गया है।

श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से० द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के निम्नलिखित नियमों के विरूद्ध कार्य किया गया है :–

(क) नियम–3 (1) (iii) – हर सरकारी सेवक ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो।

(ख) नियम–23 (1) – कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो, उससे विवाह नहीं करेगा।

(ग) नियम–23 (2) – ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवत हो किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती श्वेता मिश्रा, बि०प्र०से०, ने अपने पति डा0 चुन्नी लाल त्रिपाठी के जीवित रहते हुए और उन्हें तलाक दिये बिना ही श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी से शादी की है, जबकि श्री ज्ञानेन्द्र कुमार त्रिपाठी परिवादी श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी के पति है। इस तरह उनके द्वारा नियम–23 (1) (2) दोनों का उल्लंघन किया गया है। उनका यह आचरण सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय है। इस आचरण से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्राप्त आरोप, उनके स्पष्टीकरण एवं जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया।

7. विभागीय पत्रांक–9805 दिनांक 07.07.2015 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से श्रीमती मिश्रा के विरूद्ध प्रस्तावित दंड पर परामर्श की माँग की गई। आयोग ने अपने पत्रांक–1488, दिनांक 31.08.2015 द्वारा उक्त दण्ड पर अपनी असहमति संसूचित किया।

8. आयोग ने अपनी असहमति के विन्दुओं को परिभाषित नहीं किया है। आयोग द्वारा मात्र आरोपित पदाधिकारी के द्वितीय कारण पृच्छा में दिये गये उत्तर को अंकित करते हुए जाँच को तथ्यपरक नहीं है ऐसा मान लिया गया। आयोग के मत से सहमत होने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अतः बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिये गये अभिमत से असहमत होते हुए श्रीमती श्वेता मिश्रा के विरूद्ध विनिश्चित शास्ति यानि ''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी'' को पूर्ववत् बरकरार रखते हुए अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

9. श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कैमूर, भभुआ के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके स्पष्टीकरण, जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं आयोग के मंतव्य की समीक्षोपरान्त आरोपित पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14(xi) के तहत निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है :–

''सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी''

10. श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1312/11 के बर्खास्तगी प्रस्ताव पर मंत्री परिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्रीमती श्वेता मिश्रा, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक–1312/11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, छपरा सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, कैमूर, भभूआ एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 125-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in